

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 44/2021-22 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2018 से 31.03.2023) के लिए ईंधन अवसंरचना शुल्क के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 15.03.2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 12.

प्राधिकरण के निर्णयों का सार

बीकेएफएफपीएल, कन्नूर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

अध्याय और पैरा		प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.4.1	बीकेएफएफपीएल, कन्नूर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाना।	14
अध्याय संख्या 3	3.31.1	तालिका 3 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यहास को टू-अप करना	25
	3.31.2	तालिका 4 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार को टू-अप करना।	
	3.31.3	तालिका 8 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना।	
	3.31.4	वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 'शून्य' आयकर मानना।	
	3.31.5	तालिका 7 के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एफआरओआर को टू-अप करना।	
	3.31.6	तालिका 11 के अनुसार एआरएआर को टू-अप करना और प्रथम नियंत्रण अवधि की शेष अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ निर्धारण में 492.31 लाख रूपए की कम वसूली को मानना।	
अध्याय संख्या 4.	4.6.1	तालिका 13 के अनुसार बीकेएफएफपीएल, कन्नूर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान को मानना।	28
	4.6.2	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि की वास्तविक कुल खरीद के आधार पर ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को टूअप करना।	
अध्याय संख्या 5.	5.6.1	तालिका 14 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानना।	31
	5.6.2	तालिका 15 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यहास को मानना।	
	5.6.3	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्याओं के आधार पर विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यहास को टू-अप करना।	
अध्याय संख्या 6.	6.6.1	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 14% ईक्विटी की लागत को बनाए रखना।	34
	6.6.2	तालिका 17 में परिकलित किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23) के लिए एफआरओआर को अंगीकार करना।	
	6.6.2	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान एफआरओआर को टू-अप करना।	
अध्याय 7.	7.4.1	प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए शून्य अन्य आय मानना।	35
	7.4.2	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान "अन्य आय" को टू-अप करना।	

अध्याय 8	8.6.1	तालिका 25 में दर्शाए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानना।	45
	8.6.2	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टू-अप करना।	
अध्याय 9	9.3.1	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर मुद्रा-स्फीति के प्रावधान को टू-अप करना।	46
अध्याय 10	10.6.1	बीकेएफएफपीएल के लिए तालिका 28 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	51
	10.6.2	द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के चौथे और पांचवे टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23) की वास्तविक संख्या के आधार पर एआरआर को टू-अप करना।	
	10.6.3	प्रथम नियंत्रण अवधि की एआरआर (एनपीवी) की 394.15 लाख रूपए की कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में अग्रेनित करना।	
अध्याय 11	11.6.1	बीकेएफएफपीएल, कन्नूर के लिए संलग्नक -I के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ दरें (01.04.2022 से 31.03.2023 तक प्रभावी) अंगीकार करना।	54

अध्याय 13 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल), कन्नूर को प्रथम नियंत्रण अवधि के पांचवें टैरिफ वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए **संलग्नक-I** के अनुसार ईंधन अवसंरचना शुल्क (एफआईएफ) वसूल करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक I** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम दरें होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iii) संशोधित टैरिफ **1 अप्रैल, 2022** से प्रभावी होगी।
- (iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू सभी कर शामिल नहीं है।
- (v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

मैसर्स बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड,
फ्यूल फार्म एंड इंटो प्लेन फैसिलिटी,
कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
कन्नूर -670702
(मार्फत : श्री जितेन्द्र पी.वी, मुख्य वित्त अधिकारी)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. डॉ. वेणु वी आईएस,
प्रबंध निदेशक,
कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
मेडान्नूर, कन्नूर 670708,
केरल, भारत

बीपीसीएल केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड (बीकेएफएफपीएल) के संबंध में कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर में प्रथम नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए

**ईंधन अवसंरचना सेवा एवं इंटो प्लेन सेवाओं के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित
अधिकतम टैरिफ दर**

टैरिफ अवधि (राशि रूपए में)	ईंधन अवसंरचना शुल्क (विमान में पुनः ईंधन भरने सहित)	विमान का ईंधन खाली करना	खाली किए गए ईंधन सहित विमान में पुनः ईंधन भरना	
			06 घंटे के भीतर	06 घंटे के बाद
01.04.2022 से 31.03.2023 तक	2620 प्रति किलोलीटर	रूपए 300 प्रति किलोलीटर	रूपए 350 प्रति किलोलीटर	रूपए 400 प्रति किलोलीटर

नोट : इसमें अनुमोदित दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें लागू कर शामिल नहीं हैं।